भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1747
दिनांक 16 दिसम्बर, 2022 को उत्तर के लिए

मातृ मृत्यु-दर

1747. डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा:
डॉ. भारतीबेन डी. श्याल:

क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सच है कि पौष्टिक आहार खाने और देश में गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू की गई अन्य योजनाओं से लाभान्वित होने के बावजूद प्रत्येक वर्ष बच्चे को जन्म देने के बाद लाखों महिलाओं की मृत्यु हो जाती है;

(ख) यदि हां तो गत तीन वर्षों के दौरान उक्त मौतों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इसके कारणों का पता लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं और सरकार द्वारा मातृ मृत्यु-दर को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने की संभावना है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) और (ख): भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी नमूना पंजीकरण रिपोर्ट के अनुसार भारत का मातृ मृत्युदर (एमएमआर) 1,00,000 जीवित जन्मों पर एसआरएस 2017-19 में 103 से 2018-20 में 6 अंक कम होकर 97 हो गया है। एसआरएस रिपोर्ट में उपलब्ध राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार एमएमआर **अनुलग्नक** में दिया है।

(ग) : भारत के रजिस्ट्रार जनरल - नमूना पंजीकृत प्रणाली रिपोर्ट के शीर्षक 'भारत में मातृ मृत्युदर : 2001-2003 प्रवृत्ति, कारण, जोखिम कारकों' के अनुसार देश में मातृ मृत्यु का मुख्य कारण रक्तस्राव (38%), सैपसिस (11%), उच्च रक्तचाप संबंधी विकार (5%), बाधित श्रम (5%), गर्भपात (8%) और एनीमिया सहित अन्य कारण हैं।

(घ) : सरकार ने निम्न पहलों के माध्यम से मातृ स्वास्थ्य को उच्च प्राथमिकता दी है :

- **प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना** : भारत सरकार 01 जनवरी, 2017 से प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना कार्यान्वित कर रही है। पीएमएमवीवाई के तहत मिशन शक्ति के एक भाग के रूप में गर्भवती महिलाओं में स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने के व्यवहार को सुधारने के लिए नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। स्कीम के तहत गर्भवती महिलाओं को दो किस्तों में 5,000/-रुपये का मातृत्व लाभ और दूसरे बच्चे के लिए (अगर बालिका है) 6,000/-रुपये एकमुश्त प्रदान किए जाते हैं।
- **सुरक्षित मातृत्व आश्वासन** नि:शुल्क निश्चित, सम्मानित और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है और सभी रोकी जा सकने वाली मातृ और नवजात मृत्युओं को समाप्त करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य

सुविधाओं में आने वाली प्रत्येक महिला और नवजात शिशु का इलाज करने से इंकार करने पर शून्य सहनशीलता की नीति अपनाता है।

- **जननी सुरक्षा योजना** संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए मांग प्रोत्साहन और सशर्त नकद हस्तांतरण स्कीम है।
- **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम** के तहत प्रत्येक गर्भवती महिला नि:शुल्क परिवहन, नैदानिक, दवाओं, उपभोग सामग्री और भोजन के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में सिजेरियन सैक्शन सहित नि:शुल्क प्रसव की पात्र है।
- **प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान** के तहत गर्भवती महिलाओं को प्रत्येक माह की 9 तारीख को विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्थायी, नि:शुल्क, निश्चित और गुणवत्तापूर्ण पूर्व प्रसव चैकअप कराया जाता है।
- **लक्ष्य** लेबर रूम और मातृत्व ऑपरेशन थिएटर में देखरेख की गुणवत्ता में यह सुनिश्चित करने के लिए सुधार लाता है, जिससे कि गर्भवती महिलाओं को प्रसव के दौरान और प्रसव के तुरंत बाद सम्मानपूर्ण और गुणवत्तापूर्ण देखरेख प्राप्त हो सके।
- **मासिक ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवस** आईसीडीएस के साथ अभिसरण में पोषण सहित मातृ और बाल देखरेख प्रावधानों के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों पर आउटरीच गतिविधि है।
- **पोषण ट्रैकर** आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए टेक होम राशन के रूप में (सूखा राशन नहीं) अनुपूरक पोषण की प्रदायगी की निगरानी को सुविधाजनक बनाता है।
- **प्रजनन और बाल स्वास्थ्य पोर्टल** गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए नाम आधारित वेब सक्षम ट्रैकर प्रणाली है, जो प्रसवपूर्व देखरेख, संस्थागत प्रसव और प्रसव बाद देखरेख सहित उन्हें नियमित और संपूर्ण सेवाओं का निर्बाध प्रावधान सुनिश्चित कराता है।
- इसके अतिरिक्त पोषण अभियान के तहत एनीमिया नियंत्रण और रोकथाम पोषण के पांच सूत्रों में से एक है। जागरुकता और व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए जन आंदोलन/भागीदारी पोषण अभियान का एक प्रमुख मुद्दा है। जन आंदोलन के तहत पोषण माह हर वर्ष सितम्बर में और पोषण पखवाड़ा मार्च में आयोजित किया जाता है। एनीमिया कैम्पों, संवेदीकरण, स्क्रीनिंग इत्यादि पर देशभर में पोषण पखवाड़ा 2022 में 14.79 लाख के करीब गतिविधियां और पोषण पखवाड़ा 2022 में 48.77 लाख के करीब गतिविधियां आयोजित की गईं।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने जीवनचक्र दृष्टिकोण में महिलाओं, बच्चों और किशोरियों में एनीमिया को कम करने के लक्ष्य के साथ एनीमिया मुक्त भारत रणनीति शुरू की है। एनीमिया मुक्त भारत के तहत 6x6x6 रणनीति में छह आयु समूह, छह पहलों और छह संस्थागत तंत्र शामिल हैं। एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के तहत छह पहलों में प्रोफिलैक्टिक आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट, समय-समय पर डी-वार्मिंग, वर्ष भर गहन व्यवहार परिवर्तन संचार अभियान, एनीमिया का परीक्षण और उपचार, डिजिटल तरीकों और देखरेख के बिंदुओं का उपयोग, कार्यान्वयन आदि को मजबूत करने के लिए अन्य संबंधित विभाग और मंत्रालय के साथ अभिसरण और समन्वय शामिल है।

*****

अनुलग्नक

राज्य-वार मातृत्व मृत्युदर अनुपात

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	**नमूना पंजीकृत प्रणाली 2017-19**	**नमूना पंजीकृत प्रणाली 2018-20**
असम	205	195
मध्य प्रदेश	163	173
उत्तर प्रदेश	167	167
छत्तीसगढ	160	137
ओडिशा	136	119
बिहार	130	118
राजस्थान	141	113
हरियाणा	96	110
पंजाब	114	105
पश्चिम बंगाल	109	103
उत्तराखंड	101	103
भारत	**103**	**97**
कर्नाटक	83	69
गुजरात	70	57
झारखंड	61	56
तमिलनाडु	58	54
आंध्र प्रदेश	58	45
तेलंगाना	56	43
महाराष्ट्र	38	33
केरल	30	19